न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 62/2009

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 झीमकू देवी उर्फ जिमकू स्त्री नारायण।
2 मोहनी स्त्री राजकुमार।
3 रोहित पुत्र राजकुमार।
4 संजय आयु 15 वर्ष पुत्र राजकुमार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मोहनी स्त्री राजकुमार।
5 पूजा पुत्री राजकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 23 सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामूराम पुत्र हनुमान।
2 रिछपाल पुत्र हनुमान।
3 विजय पुत्र हनुमान समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 23 सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 भागोती पुत्री हनुमान स्त्री शिवप्रसाद जाति जाट निवासी थोरासी तहसील धोद जिला सीकर।
5 मुन्शी पुत्री हनुमान स्त्री दीवान जाति जाट निवासी सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 रामकुमारी स्त्री अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23 सीकर तहसील व जिला सीकर।
7 महेन्द्र पुत्र अर्जुनसिंह।
8 प्रदीप पुत्र अर्जुनसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 23 सीकर तहसील व जिला सीकर।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.89
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर
बसिलसिले दावा संख्या 259/1989 उनवानी
हनुमान बनाम अर्जुनसिंह आदि दावा बाबत
उद्वघोषणा एवं दूरूस्ती राजस्व रिकार्ड अपील
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा दावा संख्या 259/1989 में पारित निर्णय दिनांक 2809.1989 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 604/2 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा पुख्ता तन कस्बा सीकर से बने नये खसरा नम्बर 1556 रकबा 3.92 हैक्टेयर तन कस्बा सीकर में से अपीलांट संख्या 1 जिनकू के पति व अपीलांट संख्या 2 लगायत 5 के पूर्वज नारायण जिसके अपीलांट उतराधिकारी है कि भूमि आपराधिक कृत्य करते हुये हडपने की साजिश व षड़यंत्र रेस्पोडेंट संख्या 6 के पति व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 के पिता अर्जुनसिंह से करकें अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में 2 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 0.65 हैक्टेयर भूमि हड़प करने की नियत से दावा बाबत उद्वघोषणा एवं दूरूस्ती राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया जिन्हे योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.09.89 को निर्णित कर दिनांक 28.09.1989 को विरूद्व कानून अवैध तरीके से डिक्री कर दिया। अत अपीलांट की और से योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 28.09.1989 के विरूद्व अपीलांट की और से अपील धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 604/2 नारायण ने हणमान को बेची इसके पश्चात पुन इसी खसरा नम्बर में से विक्रय पत्र रघुनाथ के नाम हुआ नक्शे में 604/1 हनुमान का 604/2/1 नारायण का 604/2/2 रघुनाथ अंकित किया गया। विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 604/2 में 4 बीघा 5 बिस्वा का दावा किया गया। जबकि इसका रकबा 18 बीघा

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 बिस्वा था इसका नया नम्बर 1556 बना है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना दावा डिक्री करवाया है अपीलांट के हित प्रभावित होते है। आवश्यक पक्षकार है धारा 5 व धारा 96 स्वीकार कर अपील स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि नारायण ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 604/2 मे विशेष भू–भाग रेस्पोडेंट को बेच दिया नारायण के पास खसरा नम्बर 1554 बचा विक्रय पत्र में सीमाए बता दी गई। विवाद हनुमान व अर्जुन सिंह के मध्य था जिसे दूरूस्त करवाया गया है नारायण अथवा उसके वारिसान के विरूद्व कोई अनुतोष नही दिया गया है। यह आवश्यक पक्षकार नही है अपील सारहीन है खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 604/2 में खातेदार नारायण द्वारा चतुर्थ सीमा अंकित कर विशेष भू–भाग हनुमान व अर्जुनसिंह को विक्रय किया गया था दोनों के मध्य सीमा विवाद होने पर विचाराधीन वाद प्रस्तुत कर दूरूस्ती करवाई गई है। नारायण अथवा उसके वारिसान अपीलांट के विरूद्व विचाराधीन निर्णय व डिक्री में कोई अनुतोष पारित नही किया गया। अपीलांट ने अपने आवेदन धारा 96 सीपीसी में यह जाहिर नही किया है कि विचारण न्यायालय के निर्णय से वह किस प्रकार प्रभावित है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट आवश्यक पक्षकार नही पाये जाते है। अत अपीलांट का आवेदन धारा 96 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक धारा 5 का प्रश्न है अपीलांट ने यह अपील 29 साल बाद प्रस्तुत की है। इतनी लम्बी अवधि का दिन प्रतिदिन का देरी का कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय के उपरान्त विवादित भूमि का भू–प्रबंध होकर पर्चा अपीलांट को दिया गया है जिसके विरूद्व अपीलांट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व उसके आधार पर बने राजस्व रिकार्ड की 29 साल तक जानकारी नही हुई है। अत धारा 5 का आवेदन भी खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/11/18

(करतार सिंह भूनियाँ)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर